

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सागने उल्लेखित नवीन पदस्थापन स्थान पर किया जाता है—

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान	जिला
1	प्रेम कुमार मीणा	Sr. Asst.	रावाउमावि जसवंतपुर (जालौर)	Jalore	राआबाउमावि रानोली, पीपराली (08130507106)	Sikar
2	मीरा देवी	Class IV	राआबाउमावि गुडामलानी बाडगेर से राउमावि लालपुरा थानागाजी, अलवर (स्थानान्तरणाधीन)	Barmer	रावाउमावि राजगढ़ (08061114874)	Alwar
3	सोमोती देवी	Class IV	रावाउमावि राजगढ़ (08061114874)	Alwar	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राजगढ़	Alwar
4	सुशीला	Class IV	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आहौर	Jalore	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सांकड़ा (पोकरण)	Jaishimer

क्र.सं. 03 के कार्मिक को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। समस्त संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों की अक्षरशः पालना करें :-

1. राजस्थान स्वच्छता ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनो पैरो से दिव्यांग/गम्भीर वीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
3. प्रोबेशनरी ट्रेनी कार्मिक को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
4. माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
5. स्वच्छता से अन्तर-भण्डल/अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिकों को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
7. टीएसपी से नॉन टीएसपी में यदि स्थानान्तरण हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
8. पंचायतराज के कार्मिक का यदि स्थानान्तरण हो गया है तो उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक :- 29.09.19

क्रमांक : शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2-3/स्थानान्तरण/2019

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग कार्या. हाजाको विभागीय वेबसाईट पोर्टल पर अपलोड हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर